अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2023/327

श्री श्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

बीना देवी बनाम ललित चौहान वगैरह (2023/327)

31/12/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 11 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 9486 मिन रकबा 13-4-16 बीघा स्थित ग्राम थोक मालियान अजमेर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पूर्व पन्नालाल पुत्र श्री खाजू की निजी घोषित सम्पत्ति है जिस पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन अधिकार अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने के कारण असल अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कारित कर प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं भूमि को रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा हो रहे है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी निजी घोषित सम्पत्ति है जिस पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन अधिकार अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने के कारण असल अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कारित कर प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं भूमि को रहन,बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा हो रहे है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी निजी घोषित सम्पत्ति से महरूम हो जायेगें; जिससे प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला अपील पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात रहन, बेचान, मुन्तकिल करने, प्रार्थीयागण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं रिकार्ड में परिवर्तन करवाने से पाबंद किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.कांश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2023 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये है जिसकी अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना मे उक्त अपील चलने योग्य नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि जब अपील ही चलने योग्य नहीं है तो अपील में किसी प्रकार का अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना-पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2023 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में अन्तरिम स्थगन एवं स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलीय

लगातार

Scanned with CamScanner

अपील 327/2023/225 हिन्दी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2023/327

पेशी श्री ... श्री ...

लगातार

न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में दिशा निर्देश जारी किये हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत् प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के तहत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है क्योंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपील को इसी स्तर पर न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मद्यनजर रखते हुए एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्टस को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2025 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner